न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्री नखतदान बारहठ, आर.ए.एस.

225RTA2019-00193Ju2019-106 Smt. Laharidevi etc Vs Smt. Sayari Devi etc

---

01. श्रीमती लहरी देवी पत्नी श्री चौथाराम, पुत्री श्री आदाराम जाति मेघवाल, निवासी- सर, तहसील लूणी, जिला जोधपुर।
02. श्रीमती गंगा देवी पत्नी आदाराम, पुत्री आदाराम, जाति मेघवाल, निवासी- ग्राम बेवटा, तहसील लूणी, जिला जोधपुर।

अपीलाण्ट्स ...

ब

ना

म

01. श्रीमती सारयी देवी पत्नी स्व. श्री रघुनाथराम, जाति मेघवाल, निवासी- ग्राम कटारडा, भाण्डूकला, तहसील लूणी, जिला जोधपुर।
02. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लूणी, जिला जोधपुर।

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 बरखिलाफ आदेश सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, लूणी दिनांक 31 जुलाई 2019 राजस्व विविध प्रार्थना पत्र संख्या 09/2017 लहरी देवी व अन्य बनाम सायरी देवी इत्यादि

------- 0 -------

उपस्थित-

श्री नवीन शर्मा, अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स
श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता, रेस्पो. संख्या दो

नि र्ण य

दिनांक : 29 अक्टूबर 2021

अपीलाण्ट्स ने न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी द्वारा राजस्व विविध प्रार्थना पत्र संख्या 09/2017 लहरी देवी व अन्य बनाम सायरी देवी इत्यादि में पारित आदेश दिनांक 31 जुलाई 2019 के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के तहत 19 अगस्त 2019 को प्रस्तुत की है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में घोषणा खातेदारी, जारी करने, स्थाई निषेधाज्ञा एवं विभाजन का वाद पेश किया तथा वाद के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर विवादग्रस्त भूमि खसरा नं. 32 रकबा 70.12 बीघा मौजा भाण्डू खुर्द तहसीलद लूणी को पुश्तैनी बताते हुए वादग्रस्त भूमि में अपने पिता के 1/5 हिस्से में अपना 1/3-1/3 हिस्सा विरासतन निहित होना बताया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उभय पक्ष को सुनकर दिनांक 31 जुलाई 2019 को प्रार्थीगण/अपीलांट्स को प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया, जिसके विरुद्ध आलौच्य अपील प्रस्तुत की गई।

बहस सुनी गयी। अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स ने तथ्यों एवं अपील मीमो में वर्णित बिन्दुओं को दोहराते हुए कथन किया वादग्रस्त आराजी खेत खसरा नं. 32 रकबा 70.12 बीघा भूमि मौजा भाण्डू खुर्द तहसील लूणी, जिला जोधपुर वक्त सेटलमेंट में प्रभुराम जी के नाम दर्ज थी। प्रभुराम जी के देहांत के बाद उनके पांच पुत्रों तेजाराम, बद्रीलाल, बस्ताराम, आदाराम व देवाराम के नाम खातेदारी दर्ज हुई। अपीलांट्स के पिता आदाराम जब तक जीवित रहे, तब तक उनके नाम खातेदारी रही है। अपीलांट्स के पिता का उक्त संपूर्ण भूमि में 1/5 हिस्सा यानी 14 बीघा 02 बिस्वा 08 बिस्वांशी भूमि बंट में आती है तथा अपने हिस्से पर जब तक जीवित रहे उनका ही कब्जा काश्त था। अपीलांट्स के पिता की मृत्यु के पश्चात उक्त जमीन में अपने पिता के हिस्से की जमीन बतौर कब्जा व काश्त काबिज चली आ रही है। इस कारण प्रथमदृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन अपीलांट्स के पक्ष में बनता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त कानूनी बिंदु को नजर अंदाज करते हुए अपीलाधीन आदेश पारित किया है। इस कारण अपीलाधीन आदेश निरस्त योग्य है। आदाराम के तीन वारिसान् रघुनाथराम फौत, लहरीदेवी व गंगादेवी। वंशावली अनुसार अपीलांट्स का 1/3-1/3 हिस्सा अपने पिता की सम्पति में बनता है तथा उक्त भूमि

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

पैतृक भूमि है, लेकिन मातहत अदालत ने अपने निर्णय में यह उल्लेख किया कि अपीलांट्स ने यह साबित नहीं किया कि उक्त भूमि मौरूसी भूमि है या स्वअर्जित भूमि है, इसके संबंध में अपीलांट्स ने अधीनस्थ न्यायालय में दस्तावेज पेश किये, जिसमें स्पष्ट बताया गया है कि उक्त भूमि पैतृक भूमि है, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने दस्तावेजों का अवलोकन किये बिना ही आदेश पारित कर दिया। विवादित भूमि अपीलांट के पिता की खातेदारी भूमि थी, अपीलांट के पिता की खातेदारी की भूमि होने के कारण उनकी मृत्यु पश्चात हिंदु उतराधिकार अधिनियम की धारा 8 के तहत पुत्र व पुत्रियों का बराबर हक बनता है, लेकिन अपीलांट्स के पिता की मृत्यु होने के बाद अपीलांट्स के एक मात्र भाई रघुनाथराम ने चुपके-चुपके प्रशासन गॉवों के संग अभियान में अपीलांट्स का नाम छुपाते हुए अपना अकेले के नाम पिता का फौतेदगी म्युटेशन दर्ज करवा लिया, जबकि अपने पिता के हिस्से की भूमि में अपीलांट्स का भी भाई के साथ बराबर- बराबर हिस्सा बनता है। म्युटेशन स्वीकृत करने से पूर्व अपीलांट्स को कोई नोटिस व सुनवाई का अवसर नही दिया गया। अदालत मातहत ने कब्जे के संबंध में कोई रिपोर्ट नहीं मंगवाई तथा निर्णय में उल्लेख कर दिया कि अपीलांट्स द्वारा कब्जे के संबंध में कोई साक्ष्य पेश नही किया। अपीलांट्स के भाई रघुनाथराम की मृत्यु के पश्चात रेस्पोडेंट संख्या एक ने अपने नाम भूमि की खातेदारी दर्ज करवा दी तथा उक्त भूमि के बेचान पर उतारू है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अस्थाई निषेधाज्ञा के निर्धारक तीनों बिंदओं पर अलग-अलग फाईडिंग दिये बिना ही अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया। अंत में अपीलांट्स के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपील अपीलांट्स स्वीकार फरमायी जावे तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 31 जुलाई 2019 को अपास्त किया जावे तथा अपीलांट्स के पिता के हिस्से की भूमि का ताफैसला दावा किसी भी प्रकार से बेचान व किसी भी प्रकार से हस्तांतरण नहीं करने हेतु रेस्पोडेंट संख्या एक को पाबंद किया जावें।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुरूप विधिसम्मत निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरता पूर्वक अध्ययन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख नामांतरकरण दिनांक 12.10.2001 के मुताबिक विवादग्रस्त आराजी ग्राम भाण्डू खुर्द, तहसील लूणी में स्थित खसरा नं. 32 रकबा 70.12 बीघा किस्म बारानी द्वितीय **पुश्तैनी भूमि** है। **वादग्रस्त भूमि पुश्तैनी होने से कानूनन अपीलांट का जन्म से हक व अधिकार निहित है। अधीनस्थ न्यायालय में मूल दावा अब भी विचाराधीन है, जिसमें अपीलांट के खातेदारी की घोषणा होनी है। इसलिए विवादग्रस्त आराजी को संरक्षित भी किया जाना कानूनन आवश्यक है।** इसलिए प्रथमदृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिंदु अपीलांट्स के पक्ष में है। इन परस्थितियों में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश अदालत हाजा की राय में समर्थन योग्य नहीं ठहरता है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 31 जुलाई 2019 को खारिज किया जाकर रेस्पोडेंट संख्या एक को तादावा फैसला पाबंद किया जाता है कि वह विवादग्रस्त आराजी में 2/3 हिस्से तक का बेचान हस्तांतरण नहीं करे।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया। 28/IX/2021

(नखतदान बारहठ)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर